ए.

जरनैल सिंह और ए. एन. आर.

बनाम

पंजाब राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 634)

बी.

12 जुलाई, 2022

**[**अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।409/109, 420/109, 467/109, 471/109, 474/109, 477-ए/109 और 120-बी-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-एस.13(i)(घ) और 7-राज्य रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक के खिलाफ आरोप, कि कंडक्टर और अन्य लोगों की मिलीभगत से टिकटों को बेचा और उपयोग किया जा रहा था, अपने दम पर मुद्रित किया जाता था और अपने स्वयं के व्यक्तियों के माध्यम से बेचा जाता था, जो उसके लिए धन एकत्र करते थे, जिससे डिपो को भारी नुकसान होता था-एफ. आई. आर. का पंजीकरण-तीन कंडक्टरों-अपीलार्थियों को दोषी ठहराया जाता था और सजा दी जाती थी।409/109, 420/109, 467/109, 471/109, 474/109, 477-ए/109 और 120-बी आई. पी. सी और एस.13(आई) पी. सी. अधिनियम की (डी) और 7, और अन्य को निम्नलिखित अदालतों द्वारा बरी किया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःनिरीक्षण दल द्वारा टिकटों की बरामदगी को वैध साबित करने में विफलता और जांच रिपोर्ट को केवल एक फोटोकॉपी के रूप में साबित करने में विफलता-अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमुख माध्यमिक साक्ष्य के लिए आदेश लेने के लिए मूल और उसके नुकसान के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया-इस प्रकार, जांच रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं किया जा सका-एक बार, टिकटों की बरामदगी कानून के अनुसार नहीं की गई है, न ही जब्त किए गए टिकटों को तीन अलग-अलग बसों से जोड़ा जा सकता है और कथित बसों का संचालन करने वाले कंडक्टर-अपीलकर्ताओं को जोड़ने के लिए अपुष्ट टिकटों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है-राज्य द्वारा प्रमुख माध्यमिक साक्ष्य के लिए आवेदन करने के बावजूद जांच रिपोर्ट साबित नहीं हुई

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अशोक धुलीचंद बनाम माधवराव दुबे **(1975) 4** एस**.** सी**.** सी**. 664:[1976] 1** एस**.** सी**.** आर**. 246;** जय देव बनाम पंजाब राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1973** एस**.** सी**. 612;** शरद बर्डीचंद सारदा बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1984) 4 एस. सी. सी. 116:[1985] 1 एससीआर 88;

सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य **(2013) 12** एससीसी **406;**

एच.

196 ए.

197

जरनैल सिंह और ए. एन. आर. बनामपंजाब ए का राज्य

समसुल हक बनाम असम राज्य **(2019) 18** एस**.** सी**.** सी**. 161;** सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1957** एस**.** सी**. 637:[1957]** एस**.** सी**.** आर**. 953;** शिवाजी एस**.** बोबडे बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1973) 2 एससीसी 793:[1974] 1 एससीआर 489;

सुभाष चंद बनाम राजस्थान राज्य **(2002) 1** एससीसी

702 :[2001] 4 पूरक।एस. सी. आर. 163; सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य (2013) 12 एस. सी. सी. 406:[2013] 3 एससीआर 830; राजीव

बी.

सिंह बनाम बिहार राज्य (2015) 16 एससीसी 369;

यू. पी. वी.वसीफ हैदर (2019) 2 एस. सी. सी. 303:[2018] 14 एस. सी. आर. 1161-संदर्भित।

संदर्भित विधि निर्णय

सी.

**[1976] 1** एससीआर **246 6**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (iv)**

ए**.** आई**.** आर **1973** एस**.** सी **612**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (vii)**

**[1985] 1** एससीआर **88**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (vii)**

**(2013) 12** एससीसी **406 6**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (vii)**

डी.

पैरा **6 (vii)**

**(2019) 18** एससीसी **161 6**

संदर्भित किया गया है

**[1957]** एससीआर **953**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (viii)**

**[1974] 1** एससीआर **489**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (viii)**

**[2001] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 163** संदर्भित

पैरा **6 (viii)**

ई.

**[2013] 3** एससीआर **830**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (viii)**

**(2015) 16** एस**.** सी**.** सी**. 369**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (viii)**

**[2018] 14** एससीआर **1161**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (viii)**

एफ.

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2010 की आपराधिक अपील संख्या 634।

2002 की आपराधिक अपील संख्या 205-एस. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 14.09.2009 के निर्णय और आदेश से।

जी.

के साथ

2010 की आपराधिक अपील संख्या 633।

नीरज कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. पी. सिंह, सुश्री श्रेया दत्त, मनु मिश्रा, ताविशी कुमार, संजय जैन, संजय सिंह, अनिकेत जैन, उमंग शंकर, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

एच.



आर. के. राठौर, सुश्री जसप्रित गोगिया, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

विक्रम नाथ**,** जे।

1. ये दोनों अपीलें 2002 (सोहन लाल और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में आपराधिक अपील No.205 (SB) में पारित 14.09.2009 के फैसले और आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाती हैं। पंजाब राज्य) जिसके तहत, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं, जरनैल सिंह, सलवंत सिंह और बलकार सिंह को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409/109,420/109,467/109,471/109,474/109,477-A/109 और 120-B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (i) (d) और 7 के तहत दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की।

बी.

सी.

डी.

तथ्यः

2. संक्षेप में बताए गए प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः(i) पंजाब रोडवेज डिपो, मुक्तसर के चालक मल्कियत सिंह ने विभाग के उच्च अधिकारियों को दिनांक आई. डी. 1 पर एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि पंजाब रोडवेज डिपो, मुक्तसर के महाप्रबंधक कंडक्टर और अन्य लोगों के साथ मिलकर टिकट बेच रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं जो खुद मुद्रित किए जाते हैं और अपने ही लोगों के माध्यम से बेचे जाते हैं, जो उनके लिए पैसे इकट्ठा करते थे और इस तरह, डिपो को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है।

ई.

(ii) उक्त शिकायत के आधार पर, उपायुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुक्तसर को एक पत्र लिखा और इसके आधार पर, निरीक्षक, दिलबाग सिंह द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

एफ.

(iii) उपायुक्त, मुक्तसर ने कथित घोटाले के संबंध में सचिव, परिवहन विभाग, चंडीगढ़ को भी शिकायत भेजी।सचिव को बदले में तीन अधिकारियों की आवश्यकता थी, (ए) श्री दर्शन सिंह संधू, उप सचिव, वन और वन्यजीव, चंडीगढ़, मुक्तसर (पीडब्लू-20),

जी.

(ख) श्री एम. एस. संधू, एस. डी. एम., जीरा (पीडब्लू-21) और,

1 संक्षेप में आई. पी. सी. 2 संक्षेप में पी. सी. अधिनियम

एच.

जरनैल सिंह और ए. एन. आर. बनामपंजाब राज्य [विक्रम नाथ, जे.]

ए.

(ग) श्री अमरजीत सिंह शाही, एस. डी. एम., बस्सी पठाना (पीडब्लू-22); औचक जाँच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(iv) इन तीनों अधिकारियों ने 11.05.1996 पर दिल्ली-मुक्तसर और सिरसा-मुक्तसर के मार्गों पर बसों के चालकों की जाँच की।उन्होंने पुराने टिकटों को अपने कब्जे में ले लिया और टिकटों का मूल्य उसी पर टिकट, चालकों की डायरी और वे-बिल और टिकट बैग में उनके कब्जे में नकदी चिपकाकर बढ़ा दिया गया।

बी.

(v) जांच समिति ने भी बयान दर्ज किए।महाप्रबंधक द्वारा अनुबंध के आधार पर दी गई कुछ बसों के चालकों के बयान भी दर्ज किए गए।

सी.

(vi) जांच समिति ने महाप्रबंधक, यातायात प्रबंधक और सहायक यांत्रिक अभियंता के बयान भी दर्ज किए।

(vii) समिति का विचार था कि महाप्रबंधक की मिलीभगत से एक बड़ा घोटाला किया गया था और मुक्तसर डिपो के निरीक्षकों और अन्य डिपो के निरीक्षकों द्वारा सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ था और यहां तक कि उड़ान दस्ते के निरीक्षक और उड़ान दस्ते के प्रभारी भी इसमें शामिल थे।

डी.

(viii) विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर, महाप्रबंधक, यातायात प्रबंधक, सहायक यांत्रिक अभियंता, संबंधित निरीक्षकों और कंडक्टरों को निलंबित करने की सिफारिश की गई थी।(ix) कानूनी राय के आधार पर कि आईपीसी की धारा 409,419,420,465,468,467,471,474,477-ए और 120-बी के तहत मामला दर्ज करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।(x) तदनुसार, उचित जांच के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 3 की धारा 173 (2) के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर, संज्ञान लिया गया था और पंद्रह (15) व्यक्तियों, अर्थात् सात (7) कंडक्टरों, चार (4) निरीक्षकों और चार (4) प्रबंधकों/वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आरोप बनाए गए थे।अभियोजन पक्ष ने तेइस (23) गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य भी दाखिल किए।

ई.

एफ.

जी.

3. सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के स्तर पर अभियुक्त के सामने रखा गया था। आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया।

3 संक्षेप में "सीआरपीसी"

एच.

200

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 13 एस सी आर।

ए.

4. निचली अदालत ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से दो प्रबंधकों/वरिष्ठ अधिकारियों, इकबाल सिंह और अमरीक सिंह और दो निरीक्षकों, गुरुचरण सिंह और खराइती लाल को बरी कर दिया। बाकी ग्यारह (11) अभियुक्तों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था।निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 2002 की आई. डी. 1 (एस. बी.), 2002 की 205 (एस. बी.), 2002 की 228 (एस. बी.) और 2002 की 245 (एस. बी.) वाली चार (4) अपीलें दायर की गईं।उच्च न्यायालय ने 14.09.2009 के फैसले और आदेश के माध्यम से शेष प्रबंधकों/वरिष्ठ अधिकारियों, जगदीप सिंह गलवती और अमरजीत सिंह संधू को बरी कर दिया। इसने शेष दो निरीक्षकों सोहन लाल और तेजा सिंह को भी बरी कर दिया।इसने तीन कंडक्टरों चरणजीत सिंह, इकबाल सिंह और शाम लाल को भी बरी कर दिया। संचालकों में से एक जुगराज सिंह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी और उनके खिलाफ कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने तीन संचालक जरनैल सिंह, सलवंत सिंह और बलकार सिंह की दोषसिद्धि की पुष्टि की, जो इस न्यायालय के समक्ष हैं।

बी.

सी.

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

डी.

6. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

(i) पीडब्लू-20, पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 के रूप में जांच किए गए तीन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को मूल रूप से रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था, इसकी स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति ली गई थी क्योंकि केवल एक ज़ेरॉक्स प्रति दायर की गई थी।

निचली अदालत ने बचाव पक्ष की आपत्ति के अधीन इसे रिकॉर्ड पर ले लिया था कि इसे सबूत और आगे के सबूत के अधीन स्वीकार किया जाएगा।यह आदेश निचली अदालत ने 15 फरवरी, 2001 को लोक अभियोजक द्वारा धारा 65 (सी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 4 के तहत दायर एक आवेदन पर पारित किया था, जिसमें मूल दस्तावेज, अर्थात् मल्कियत सिंह का हलफनामा और तीन अधिकारियों द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट का द्वितीयक साक्ष्य देने की अनुमति मांगी गई थी।निचली अदालत ने उपरोक्त आदेश द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के अस्तित्व और बाद में उक्त दस्तावेजों के नुकसान के प्रमाण के अधीन उपर्युक्त दस्तावेजों के द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति के लिए आवेदन को अनुमति दी।इसके बाद, राज्य द्वारा मूल दस्तावेजों के अस्तित्व के नुकसान को साबित करने के लिए कोई और सबूत नहीं दिया गया, जिससे निचली अदालत उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करने और उन्हें द्वितीयक साक्ष्य देने की अनुमति देने में सक्षम हो गई।राज्य द्वारा आगे कोई सबूत नहीं दिया गया।

ई.

एफ.

जी.

4 संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम"

एच.



ए.

((ii) जांच रिपोर्ट को एक तथ्य-खोज रिपोर्ट कहा जा सकता है और यह सबूत का एक टुकड़ा नहीं था।यह एफ. आई. आर. दर्ज करने का आधार हो सकता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां तक कि निचली अदालत ने भी, जब रिपोर्ट की सही प्रति प्रदर्शित की जा रही थी, अर्जन सिंह, पीडब्लू-18 के बयान में बचाव पक्ष की आपत्तियों को निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया था, जो उक्त रिपोर्ट को निम्नलिखित में साबित करने आए थेः

बी.

शर्तेंः" इन दस्तावेजों को मूल रूप से दस्तावेजों के अस्तित्व और उनके नुकसान के प्रमाण के अधीन प्रदर्शित किया जाएगा।"

(3) जांच अधिकारी, बालजीत सिंह बुट्टर, पीडब्लू-23 ने कहा कि उन्हें स्टेशन हाउस अधिकारी, दिलबाग सिंह से उपायुक्त के पत्र और जांच रिपोर्ट के साथ चिह्नित मलकियत सिंह के हलफनामे की एक फोटोकॉपी मिली थी और उन्होंने जांच की थी।वह आगे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि जांच रिपोर्ट, हलफनामे और अन्य दस्तावेजों का मूल खो गया था या नहीं।

सी.

(iv) उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया है

अशोक धूलीचंद बनाम माधवराव दुबे 5 के मामले में निर्णय पर।

डी.

(v) वाहन पर मौजूद कंडक्टरों से तीन बसों का निरीक्षण करते समय निरीक्षण समिति द्वारा अधिक मूल्य के नामांकन वाले कथित उपयोग किए गए टिकटों/नकली टिकटों/टिकटों को हिरासत में लिया गया था।कहा जाता है कि इन जब्त टिकटों को बाद में जांच अधिकारी या पुलिस स्टेशन-दिलबाग को सौंप दिया गया था।जब्त किए गए इन टिकटों को कभी भी निरीक्षण दल या पुलिस द्वारा किसी भी स्तर पर नहीं देखा गया था।निरीक्षण दल द्वारा जब्त किए गए टिकटों को तीन अलग-अलग बसों के कंडक्टरों से अलग नहीं किया गया था।न्यायालय के समक्ष भी, इन टिकटों को बिना मुहर वाले रूप में प्रस्तुत किया गया था और कहा जाता है कि इन्हें पीडब्लू-8 और पीडब्लू-15 द्वारा साबित किया गया है।ये दोनों गवाह न तो बरामदगी के गवाह थे और न ही उन्हें टिकट की उक्त बरामदगी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी थी।उन्होंने केवल इतना कहा कि ये वही टिकट हैं जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में देखे थे।

ई.

एफ.

(vi) किसी भी यात्री को उच्च मूल्य के ऐसे टिकटों की बिक्री का कोई सबूत नहीं है क्योंकि परीक्षण के दौरान किसी भी यात्री की जांच नहीं की गई थी।अभियोजन पक्ष का सबसे अच्छा मामला इस तरह के नकली टिकट रखने का है और इसके अलावा कुछ नहीं।

जी.

(vii) अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि निरीक्षण के समय कथित रूप से पाई गई अतिरिक्त नकदी भी न तो साबित हुई है और न ही

5 (1975) 4 एस. सी. सी. 664 (उसका पैरा 7)

एच.



ए.

उसी के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया था, और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के स्तर पर आरोपी से ऐसा कोई सवाल किया गया था। अभियुक्त के खिलाफ इस तरह के सबूत नहीं पढ़े जा सके।उपरोक्त प्रस्ताव के लिए, निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई हैः-

**(1)** जय देव बनाम पंजाब राज्य **6,**

बी.

**(2)** शरद बर्डीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **7, (3)** सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य **8,**

**(4)** समसुल हक बनाम असम राज्य **9**

(viii) अंत में, अपीलार्थियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष न केवल उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा, बल्कि वास्तव में, वह किसी भी कानूनी, विश्वसनीय, स्वीकार्य और निर्विवाद साक्ष्य के अभाव में अपने मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा।उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखाः

सी.

**(1)** सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य **10,**

डी.

**(2)** शिवाजी एस**.** बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य **11, (3)** सुभाष चंद बनाम राजस्थान राज्य **12, (4)** सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य **13,**

**(5)** राजीव सिंह बनाम बिहार राज्य **14, (6)** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वसीफ हैदर **15.**

ई.

7. दूसरी ओर, पंजाब राज्य के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में विश्वसनीय, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू-8 और पीडब्लू-15 ने टिकटों की बरामदगी को साबित किया और आगे कहा कि पीडब्लू-20, पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 ने निरीक्षण और जांच रिपोर्ट को साबित किया और इसके अलावा और कुछ नहीं।

एफ.

6 ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 612 (पैरा 21)

7 (1984) 4 एस. सी. सी. 116 (पैरा 143-145) 8 (2013) 12 एस. सी. सी. 406 (पैरा 20)

जी.

9 (2019) 18 एस. सी. सी. 161 (पैरा 13,22,23) 10 ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637 (पैरा 12)

11 (1973) 2 एससीसी 793 (पैरा 19) 12 (2002) 1 एससीसी 702 (पैरा 24) 13 (2013) 12 एससीसी 406 (पैरा 13) 14 (2015) 16 एससीसी 369 (पेज 69) 15 (2019) 2 एससीसी 303 (पैरा 22)।

एच.

203

जरनैल सिंह और ए. एन. आर. बनामपंजाब राज्य [विक्रम नाथ, जे.] ए.

ए.

अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के लिए स्थापित किया जाना बाकी है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला कर रहे हैं; न्यायालय को रिकॉर्ड पर मूल सामग्री की जांच करनी चाहिए, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए भरोसा किया गया है।

8. अग्रिम प्रस्तुतियों और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, हम अब अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के लिए प्रासंगिक साक्ष्य के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों का भी विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

बी.

9. पीडब्लू-8 चरणजीत सिंह हैं, जिन्हें संबंधित समय पर स्टेशन पर्यवेक्षक, मुक्तसर डिपो के रूप में तैनात किया गया था।अपने जाँच-इन-चीफ में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पंजाब रोडवेज, मुक्तसर के मुख्य निरीक्षक, तरलोचन सिंह के साथ टिकटों की तुलना वे-बिल और डॉकेट से की थी।उन्होंने जरनैल सिंह और सलवंत सिंह के साथ-साथ बलकार सिंह के टिकटों में अंतर करने की कोशिश की है।उन्होंने उपरोक्त तीन कंडक्टरों द्वारा संचालित की जा रही संबंधित बसों की तुलना में उन टिकटों की पहचान करने की भी मांग की है।उनके बयान पर, उन्हें दिखाए गए टिकटों को प्रदर्शित किया गया था।हालाँकि, जिरह में, पीडब्लू-8 स्पष्ट रूप से बताता है कि अदालत में उसे दिखाए गए सभी टिकट और वे-बिल वास्तव में पुलिस द्वारा उन्हें पुलिस स्टेशन में दिखाए गए थे।इनमें से किसी भी दस्तावेज को उस समय सील नहीं किया गया था।हम उस समय नहीं जानते थे कि कौन से टिकट किस बस या कंडक्टर से संबंधित हैं।वह उस समय मौजूद नहीं थे, जब पुलिस या बस कंडक्टरों से किसी और ने कथित टिकट और वे-बिल अपने कब्जे में ले लिए थे।वह यह नहीं कह सकते कि क्या ये वे-बिल और ये टिकट उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी बस से जुड़े थे या प्रासंगिक थे।अंत में, प्रतिपरीक्षा में, वह कहता है कि मुख्य कार्यालय द्वारा कंडक्टरों को जारी किए गए टिकटों की संख्या उन्हें तुलना और जाँच के लिए प्रदान की गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

10. पीडब्लू-15 तरलोचन सिंह, इंस्पेक्टर पंजाब रोडवेज, मुक्तसर हैं।उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा-पत्र में कहा है कि 04.08.1986 पर, उन्हें चरणजीत सिंह, स्टेशन पर्यवेक्षक (PW-8) के साथ तीन बसों से संबंधित वाउचर, वे-बिल और टिकटों की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक्स्ट जमा कर दी है। पीडब्लू-8/ए, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।वह उसी बयान को दोहराते हैं जो चरणजीत सिंह (पीडब्लू-8) ने तीन बसों के टिकट के बारे में दिया था, जहां जरनैल सिंह, सलवंत सिंह और बलकार सिंह को कंडक्टर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।हालाँकि, जिरह में, वह स्वीकार करता है कि ऊपर उल्लिखित सभी बिल और टिकट उन्हें पुलिस स्टेशन में दिखाए गए थे।इनमें से किसी को भी उस समय सील नहीं किया गया था।वह नहीं जानता था कि

जी.

एच.



टिकट या वे-बिल किस बस से संबंधित थे क्योंकि वे उनकी उपस्थिति में बरामद नहीं किए गए थे।कार्यालय या डिपो द्वारा जारी किए गए टिकटों के नंबर उन्हें जाँच के उद्देश्यों के लिए नहीं दिए गए थे।

11. पीडब्लू-8 और पीडब्लू-15 वे दो गवाह हैं जिन पर उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए भरोसा किया था।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके बयान के अवलोकन से हमें डर है कि उच्च न्यायालय निम्नलिखित कारणों से अपने आधार पर दोषसिद्धि दर्ज कर सकता थाः• सबसे पहले, जब्त किए गए टिकटों को किसी भी स्तर पर सील किए जाने का कोई सबूत नहीं है।

बी.

• पीडब्लू-8 और पीडब्लू-15 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे इन टिकटों की वसूली के समय मौजूद नहीं थे।

सी.

• उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वे पुलिस स्टेशन गए तो इन टिकटों को सील नहीं किया गया था।

• उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें नहीं पता कि ये मार्ग-बिल और टिकट उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी वाहन से जुड़े हैं या प्रासंगिक हैं।

डी.

• उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य कार्यालय द्वारा कंडक्टरों को जारी किए गए टिकटों की कोई संख्या उन्हें जाँच में तुलना के लिए प्रदान नहीं की गई थी।

12. पीडब्लू-20, पीडब्लू-21 और पीडब्लू-22 उपायुक्त द्वारा गठित निरीक्षण समिति के सदस्य हैं।उन्होंने 11.05.1996 पर तीन बसों की जाँच की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा संचालक के रूप में संचालित की जाती हैं।उनके बयान कमोबेश एक जैसे हैं, जैसे कि उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है, लेकिन जैसा कि उनके मुख्य परीक्षण और उनकी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है, उनका उल्लेख नीचे किया गया हैः

ई.

एफ.

(i) अपने मुख्य परीक्षण में, यह कहा गया है कि पंजाब रोडवेज, मुक्तसर डिपो की बसों की जांच के लिए उपायुक्त द्वारा समिति का गठन किया गया था, क्योंकि पंजाब रोडवेज के मुक्तसर डिपो के अधिकारियों की मिलीभगत से कंडक्टरों द्वारा पहले से ही बेचे गए टिकटों (खद्दर टिकट) के उपयोग के बारे में शिकायत थी।

जी.

((2) समिति के सदस्य दर्शन सिंह संधू, एम. एस. संधू और श्री अमरजीत सिंह शाही थे।

एच.



(iii) उन्होंने तीन बसों की जांच की और एक बस में उन्होंने पाया कि नियमित कंडक्टर के स्थान पर एक निलंबित कंडक्टर मौजूद था।

(iv) पूछताछ करने पर, संचालकों ने सूचित किया कि वे इस्तेमाल किए गए टिकट ले जा रहे थे और वे उच्च अधिकारियों के आदेश पर ऐसा कर रहे थे।

(v) उन्होंने टिकट अपने कब्जे में ले लिए।

(vi) उन्होंने आगे कहा कि वे उन अभियुक्तों की पहचान नहीं कर सकते जिनसे उन्होंने कौन सा टिकट लिया था।

(vii) उन्होंने तीन बसों का निरीक्षण करने के बाद आगे की जांच की और महाप्रबंधक और यातायात प्रबंधक और संबंधित कंडक्टरों के बयान दर्ज किए और संबंधित रिकॉर्ड का भी निरीक्षण किया।

सी.

(viii) जांच करने पर यह पाया गया कि पंजाब रोडवेज की कुछ बसें भी बिना परमिट और बिना किसी समय-सीमा के सड़कों पर चल रही थीं।

डी.

(ix) जाँच-प्रमुख में विशेष रूप से कहा गया है कि वे कंडक्टर का नाम, बसों की संख्या और आरोपी कंडक्टर से बरामद खद्दर टिकटों की संख्या और किस आरोपी से कौन से खद्दर टिकट बरामद किए गए थे, यह नहीं बता सके।

ई.

(x) यह आगे कहा गया है कि उन्होंने जांच रिपोर्ट Ext.PW-20/A में विवरण का उल्लेख किया था।

(xi) उन्होंने स्वीकार किया कि एक्सट। पीडब्लू-20/ए एक फोटोकॉपी है।मूल जांच रिपोर्ट उपायुक्त, मुक्तसर को प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने तत्काल कार्रवाई और निलंबन के लिए सचिव, परिवहन को भेज दी थी।

एफ.

(xii) उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे।

जी.

(xiii) जाहिरा तौर पर, मुख्य परीक्षा में दिए गए बयानों को देखते हुए बहुत अधिक प्रतिपरीक्षा की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए प्रतिपरीक्षा के दौरान केवल औपचारिक प्रश्न रखे गए थे, जिन्हें हमें यहां संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

एच.

13. निरीक्षण दल के उपरोक्त बयानों से, वे सबसे पहले टिकटों की वसूली को वैध रूप से साबित करने में विफल रहे।दूसरा, वे जांच रिपोर्ट को साबित करने में भी विफल रहे क्योंकि केवल एक फोटोकॉपी दायर की गई थी और उसी पर आपत्तियां बयान में ही दर्ज की गई थीं, कि मूल दस्तावेजों के अस्तित्व और उनके खो जाने के प्रमाण के अधीन उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा।अभियोजन पक्ष ने द्वितीयक साक्ष्य के लिए आदेश लेने के लिए मूल के अस्तित्व और उसके नुकसान को साबित करने का प्रयास नहीं किया।इस प्रकार, जांच रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं किया जा सका और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी दर्ज किया है कि जांच रिपोर्ट सबूत का एक टुकड़ा नहीं था।एक बार जब यह पाया जाता है कि टिकटों की बरामदगी कानून के अनुसार नहीं की गई है, न ही जब्त किए गए टिकटों को तीन अलग-अलग बसों से जोड़ा जा सकता है और उक्त बसों (अपीलकर्ताओं) का संचालन करने वाले कंडक्टरों को अपीलकर्ताओं से जोड़ने के लिए अपुष्ट टिकटों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा।दूसरा, राज्य द्वारा प्रमुख द्वितीयक साक्ष्य के लिए आवेदन करने और इसे आगे नहीं बढ़ाने के बावजूद जांच रिपोर्ट साबित नहीं हुई, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा पूरा मामला स्थापित किया गया था।14. हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, हमें अपीलार्थियों द्वारा भरोसा किए गए मामले के कानूनों का उल्लेख करके इस निर्णय पर भार डालने की आवश्यकता नहीं है।

बी.

सी.

डी.

15. तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है।

ई.

16. वर्तमान अपीलार्थियों के उच्च न्यायालय और निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

17. अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया जाता है।वे अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी हो जाते हैं।वे पहले से ही जमानत पर हैं।उनके जमानत-बांड जारी किए जाते हैं।

एफ.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.